

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून  
जनपद देहरादून

पत्रांक 1178/

दिनांक 26/6/2015

वनाधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी  
हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 17/6/15 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम -2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद देहरादून के देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी, 23.75 है० में उपखनिज चुगान का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया जिस हेतु 23.75 है० भूमि वन विभाग से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी विकासनगर की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 23.75 है० भूमि जो कि वन विभाग के झाझरा रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी विकासनगर की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न हैं।

(रम अवतार सिंह)  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
देहरादून

(पीके पात्रो)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
उत्तराखण्ड वन विकास निगम  
देहरादून वन प्रभाग  
देहरादून

(रविनाथ रमन)  
जिलाधिकारी,  
District Dehra Dun  
Dehra Dun.

पृ० सं० ...../...../दिनांक

प्रतिलिपि:- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रविनाथ रमन)  
जिलाधिकारी  
देहरादून



(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1  
(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector- Dehra Dun.

No--1178

Dated-26/6/15


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 23.75 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation (name of user agency) for Extraction of R.B.M in Swarna purpose for diversion of forest land in Dehra Dun district falls within jurisdiction of Vikash Nagar village (s) in Rajawala, Rampur Bhawala, Rampur Kala tehsils.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to 7.annexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

  
Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)  
**District Magistrate**  
**Dehra Dun.**



**FORM-II**  
**(for projects other than linear projects)**

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector- Dehra Dun

No---

Date----

**To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 23.75 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Forest Development Corporation (name of user agency) for Extraction of R.D.M. from Swarna River (purpose for diversion of forest land) in D.Dm district falls within jurisdiction of Rajawala, Rampur Bhawala, Rampur Kala village (s) in..... tehsils. Vikash Nagar

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1..to 7..annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of... Rajawala, Rampur Bhawala, Rampur Kala..... villages(s) is enclosed as annexure. 2.. to annexure. 7...
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above.

  
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

**District Magistrate**  
**Dehra Dun.**




OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT Dehra Dun (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of ..... district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Ravi Nath Raman..... I.A.S deputy commissioner, ..... 17/6/15 on dated ..... at time ..... at ..... in which application claiming rights in ..... Swarna River ..... area measuring 23.75... hect for the construction of Extraction of RBM forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Vikash Nagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Dehra Dun  
Dated: .....

  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level Committee  
**District Magistrate**  
**Dehra Dun.**



## प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- स्वारना, में उपखनिज चुगान।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, विकासनगर।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर।

उपखण्ड विकास नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी में उपखनिज चुगान हेतु (23.75 हे० आरक्षित वन भूमि, - हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि - हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 23.75 हे० वन भूमि) का उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की दिनांक 22/5/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मोहन सिंह बर्निया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |                               |                            |               |
|----|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1- | श्री <u>मोहन सिंह बर्निया</u> | उपजिलाधिकारी               | अध्यक्ष।      |
| 2- | श्री <u>गुलबीर सिंह</u>       | उप प्रभागीय वनाधिकारी      | सदस्य।        |
| 3- | श्री <u>बालू रसोई</u>         | सहायक समाज कल्याण अधिकारी  | सदस्य / सचिव। |
| 4- | श्री <u>देवराज सिंह</u>       | बी०डी०सी० क्षेत्र देहरादून | सदस्य।        |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु 23.75 हे० वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड विकास नगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत झाझरा रेंज की स्वारना नदी में उपखनिज परियोजना के निर्माण हेतु 23.75 हे० वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Yee  
उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-विकासनगर  
जनपद - देहरादून

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Yee  
उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील-विकासनगर  
जनपद- देहरादून



परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम राजावाला  
तहसील विकास नगर, जिला देहरादून


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के झांझरा रेंज की स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (23.75 हे० आरक्षित वन भूमि, - हे० सिविल सोयम भूमि - हे०, वन पंचायत भूमि - हे०) अर्थात् कुल 23.75 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत राजावाला द्वारा दिनांक 10-5-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम राजावाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

  
हो/ राजावाला पंचायत विकास प्रगरी  
ग्राम सचिव/सहसपुर  
मुहर सहित



ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित




प्रारूप-30.4

दिनांक 10-5-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत राजवाला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	हर सिंह रावाला	Har Singh
2	बोहित गौड़	Bohit Gaud
3	जमलेश्वर प्रसाद	Jamleshwar Prasad
4	Jagdeesh Prasad Laxmi	Jagdeesh
5	Kripal Singh Pundir	Kripal Singh
6	Santosh, Bishit	Santosh Bishit
7	Manwar Singh Bishit	Manwar Singh
8	विजय कुमार आनंद (ग्राम प्रधान)	Vijay Kumar Anand
9	कामेश्वर प्रसाद	Kameshwar Prasad
10	गुणवती देवी	Gunvati Devi
11	राजिनी देवी	Rajini Devi
12	Tulsi Devi Mangai	Tulsi Devi
13		
14		
15		





### प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रामपुर खल्ला  
तहसील विकास नगर, जिला देहरादून

#### अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादून वन प्रभाग के झाझरा रेंज की स्वारना नदी, में उपखनिज चुगान परियोजना हेतु (23.75 हे० आरक्षित वन भूमि, - हे० सिविल सोयम भूमि - हे०, वन पंचायत भूमि - हे०) अर्थात् कुल 23.75 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड वन विकास निगम विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रामपुर खल्ला द्वारा दिनांक 10-05-2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रामपुर खल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित





प्रारूप-30.4

दिनांक 10/05/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रामपुर कला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री मदन सिंह	मदन सिंह
2	श्री शिवाजी	श्री शिवाजी
3	श्री शिवाजी	श्री शिवाजी
4	श्री हनीश	श्री हनीश
5	श्री शारन	श्री शारन
6	श्री शिवान	श्री शिवान
7	श्री शिवान	श्री शिवान
8	श्री गुलकाम	श्री गुलकाम
9	श्री शिवान	श्री शिवान
10	श्री अकलम	श्री अकलम
11	श्री शम्भु	श्री शम्भु
12	श्री शिवान	श्री शिवान
13		
14		
15		

